

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 383, 384, 385 व 386 / 2014 / अलवर.

मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स,
अलवर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-अलवर।

.....प्रत्यर्थी।

खण्डपीठ कैम्प-जयपुर
श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. गुप्ता,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 17 / 09 / 2015

निर्णय

ये चारों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) वाणिज्यिक कर, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 190, 191 192, 193 / सीएसटी / 2012-13 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 24.01.2014 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत्त, अलवर (जिसे आगे " कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 9 सपठित धारा 26, 25 व 55 आफ आरवेट एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 (दिनांक 01.02.2009 से 31.03.09 तक), 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 (दिनांक 01.04.11 से 27.03.12 तक) की अवधियों से संबंधित पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2012 द्वारा कायम किये गये कर व ब्याज को यथावत रखा गया है। उपर्युक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इन चारों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 27.03.12 को श्री अश्विनी गुप्ता, साझेदार फर्म की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण यह पाया गया कि व्यवसायी फर्म द्वारा केल्लसाईट पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं मार्बल पाउडर का विनिर्माण कर राज्य से बाहर विक्रय किया जाता है तथा अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) का लाभ लेते हुए राज्य के बाहर किये गये विक्रय पर आलौच्य अवधि में रियायती कर दर @ 0.25% से कर चुकाया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि अपीलार्थी फर्म केल्लसाईट

- 352

लगातार.....2

पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं मार्बल पाउडर का विनिर्माण करती है इसलिए Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में सम्मिलित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में की गई 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ लेने का हकदार नहीं मानते हुए व्यवसायी फर्म द्वारा आलोच्य अवधियों में की गई केल्साइट पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं मार्बल पाउडर की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर पूर्ण कर दर @ 2% के स्थान पर रियायती दर @ 0.25% से कर चुकाये जाने के कारण आलोच्य अवधियों की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर @ 1.75% से करारोपण करते हुए अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया, जिनके विरुद्ध ये चारों अपीलें पेश की गई हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) में दिनांक 14.02.08 के पश्चात प्लाण्ट एण्ड मशीनरी क्रय कर उद्योग स्थापित करने एवं Micro & Small Enterprise का दर्जा प्राप्त औद्योगिक इकाईयों को 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त देय होगा तथा Micro & Small Enterprise के वर्गीकरण का अधिकार MSMED विभाग को है, जिसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचना एवं स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं जिसके आधार पर सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की इकाईयों को राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त होगा। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने केवल प्रथम अनुसूची में अंकित उद्योगों को ही इस अधिसूचना का लाभ देय होना मानते हुए रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाई नहीं माना है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा मिनरल पाउडर का विनिर्माण किया जाता है तथा अपीलार्थी MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत लघु इकाई के लिये पंजीकृत व्यवहारी है।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है दिनांक 16.01.09 की अधिसूचना के पश्चात सभी प्रकार के उद्योगों को चाहे वे अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योग की सूची में नहीं हो, को भी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 के अन्तर्गत रियायती कर दर की छूट का पात्र माना गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है। अपने इन कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल



प्रकट नहीं होती है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने इन कथनों के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तथा उद्धरित किये गये माननीय विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

इन प्रकरणों में विवादित बिन्दू यह है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं केलसाईट पाउडर पर MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात क्या सभी प्रकार के उद्योगों को अधिसूचना दिनांक 14.02.08 की छूट प्राप्त होगी?

सर्वप्रथम यहां पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) एवं Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 की धारा 7(1) (i)(a)(b)(c) एवं Amendment in MSMED Act, 2006 on dated 16/01/2009 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :-

(I) अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08:-

“ In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby directs that tax payable under the said Act by a registered dealer during the period he enjoys status of Micro and small enterprise (but not being a medium enterprise) as defined in the Micro, small and medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the State, in the course of interstate trade of commerce shall be calculated at the rate of 0.25%”

(II) अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-71 दिनांक 21.02.08:-

“ In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No 74 of 1956), The State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the department's notification No. F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 namely :-

AMENDMENT

In the said notification, the existing expression “registered dealer” shall be substituted by the expression “registered dealer who commences purchase of plant and machinery of or after 14-02-2008 for setting up of enterprise”

(III) Ministry of Small Scale Industries Notification New Delhi 29th September, 2006 :-

S.O. 1642 (E) :- The Central Government, in exercise of the power conferred by sub-Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, In this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership of undertaking or any other legal entity, by whatever name called :

- 272 लगातार.....4

(i) in the case of enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as-

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten rupees.

(IV) Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किया गया संशोधन निम्न प्रकार है :-

(फा.सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति)

S.No. 199(E).- In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642, dated 29 September 2006 namely :-

In the said notification for the portion being with the brackets, letter and words “(i) in the case of the enterprises” and ending with words, brackets and figures “the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. As- “the following shall be substituted namely”-

“(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture of production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as.”

[F.No.2(10)/2006-MSME Policy]

अतः राज्य सरकार द्वारा MSME के लिए केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में रियायत देने हेतु जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08), MSMED Act, 2006 एवं दिनांक 16.01.09 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises द्वारा उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर देय केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत हेतु अधिसूचना दिनांक 14.02.08 जारी की गई एवं उसमें सुधार करते हुए दिनांक 21.02.08 को संशोधित अधिसूचना जारी की गयी।

उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एक पंजीकृत व्यवसायी जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises का दर्जा प्राप्त है एवं साथ ही उसके द्वारा उद्यम स्थापना हेतु दिनांक 14.02.08 के पश्चात प्लांट एण्ड मशीनरी का क्रय कर स्थापित किया जावे, तब उसके द्वारा उत्पादित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रय 'सी' फार्म के



- 262

लगातार.....5

समर्थन में करने पर केन्द्रीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) में कर छूट देय होने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि ऐसे उद्यम जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises होने की पात्रता रखते हो। इसके लिए MSMED Act, 2006 की धारा 7(1)(i) के क्लॉज (a) एवं (b) में दी गई परिभाषा का अवलोकन करना आवश्यक है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में संलग्न उद्यम, जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश 25 लाख से कम हो, सूक्ष्म (Micro) तथा जिनमें 25 लाख से अधिक किन्तु पांच करोड़ से कम का विनिवेश हो, को लघु (Small) इकाई मानी जावेगी। इस प्रकार किसी उपक्रम (उद्यम) के MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत होने के लिए उसमें प्लांट एण्ड मशीनरी में निवेश होने एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होने संबंधी दोनों शर्तों की पालना करना आवश्यक है। इसी प्रकार MSMED Act, 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.01.09 को संशोधन करते हुए MSME की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तु के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे हुए उद्यम अथवा भिन्न नाम, प्रयोग एवं लक्षण रखने वाले अन्तिम उत्पाद के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया (Process) में प्लांट एण्ड मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम को भी MSME क श्रेणी में माना गया है।

इस आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं केलसाईट पाउडर के विनिर्माण एवं उत्पादन में संलग्न होने के आधार पर उद्योग विभाग, अलवर से उसे Micro Enterprises के रूप में पंजीकृत किया गया है। दिनांक 16.01.09 को केन्द्र सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में संशोधन करने के पश्चात Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों को भी MSME में सम्मिलित कर लिये जाने से ऐसे उपक्रमों को भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

दिनांक 16.01.09 को केन्द्र सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में संशोधन कर दिये जाने के पश्चात Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को भी MSME में सम्मिलित होना मान लिये जाने के कारण उसे अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त सन्दर्भ में MSMED Act, 2006 एवं इसमें किये



- 262

लगातार.....6

गये संशोधन दिनांक 16.01.09 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.01.09 के संशोधन के पूर्व MSMED Act, 2006 में MSME की दी गई परिभाषा के अनुसार केवल ऐसे उद्यम को ही MSME की श्रेणी में माना गया था जो कि Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण कार्य में संलग्न हो। किन्तु दिनांक 16.01.09 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन के पश्चात प्रथम अनुसूची में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के साथ-साथ अन्तिम उत्पाद के मूल्यसंवर्धन संबंधी प्रक्रिया (Process) के लिए प्लांट एण्ड मशीनरी में निवेश करने संबंधी उद्यम को भी MSME माना गया। इस प्रकार विनिर्माण में संलग्न उद्यमों की दशा में अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तुओं से संबंधित निर्माण कार्यों में संलग्न होने की दशा में एवं प्रसंस्करण/प्रक्रिया (Process) कार्यों में संलग्न होने की दशा में ऐसे उद्यमों को भी MSME की श्रेणी में संशोधन दिनांक 16.01.09 द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अनुसार 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री कर रियायती कर दर @ 0.25% की छूट के पात्र उद्यम कौन-कौनसे होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार वे एण्टरप्राइजेज ही पात्र माने जावेंगे जो दिनांक 14.02.08 को अथवा इसके उपरान्त प्लांट एण्ड मशीनरी की खरीद करके एण्टरप्राइजेज स्थापित करेंगे तथा उन्हें MSMED Act, 2006 की परिभाषा के अनुसार Micro Small Enterprises का दर्जा प्राप्त हो। MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात प्रथम अनुसूची में वर्णित वस्तुओं से संबंधित उत्पादन विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के साथ-साथ अन्तिम उत्पाद में मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया/प्रसंस्करण (Process) के कार्यों हेतु भी स्थापित प्लांट एण्ड मशीनरी संबंधी उद्यमों को सम्मिलित कर लिया गया न कि समस्त प्रकार की वस्तुओं के विनिर्माण संबंधी उद्योगों को इस संशोधित अधिसूचना द्वारा सम्मिलित किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश के प्रथम पैरा में अंकित किया गया कि " जांच पर पाया गया कि व्यवहारी फर्म द्वारा ए-326(ए) एमआईए, अलवर में प्लांट एण्ड मशीनरी स्थापित कर इसमें जनवरी 2009 से केलसईट पाउडर, डोलोमाईट पाउडर व मार्बल पाउडर का विनिर्माण कर विनिर्मित माल की "सी" फार्म पर की गई अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर 0.25 प्रतिशत की रियायती कर दर से केन्द्रीय विक्रय कर वसूल कर तदनुसार राज्यकोष में जमा कराया जाना पाया गया"। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं यह माना गया कि अपीलार्थी द्वारा जनवरी, 2009 में विनिर्माण प्रारंभ किया गया है।




- 282


लगातार.....7

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2014 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 16.01.2009 के अनुसार पात्र नहीं माना है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 02.09.2008 को मशीनरी व प्लाण्ट स्थापित किये गये थे, इसके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा मशीनरी क्रय करने के बिल तथा बुक्स ऑफ एकाउण्ट भी प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 06.01.2009 को अपनी फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट हेतु संशोधन करवाया गया, जिसकी प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यवहारी द्वारा दिनांक 24.01.2009 को कच्चा माल लाया गया तथा दिनांक 26.01.2009 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विवेचन नहीं करते हुये मात्र अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) को आधार मान कर जो आदेश पारित किया है वह विधिनुसार उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त चारों अपीलें स्वीकार करते हुये विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2014 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष